

# बिहार गजट

## अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श0)

(सं0 पटना 1369) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना

#### 31 दिसम्बर 2019

एस॰ओ॰ ४१०, दिनांक ३१ दिसम्बर २०१९--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १२८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक, संख्यांक ४९, तारीख २३ जनवरी, २०१८ द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ १२४, तारीख २३ जनवरी, २०१८ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रिजेस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अविध में उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं। ।

2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[(सं॰ सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3940)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ॰ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

#### 31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 410, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—7)—3940)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### The 31<sup>st</sup> December 2019

S.O. 410, Dated the 31<sup>st</sup> December 2019-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification S.O. No. 124, dated the 23<sup>rd</sup> January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 49, dated the 23<sup>rd</sup> January, 2018, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 19<sup>th</sup> December, 2019 to 10<sup>th</sup> January, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19<sup>th</sup> day of December, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7) 3940)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1369-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>